रजिस्ट्री सं. डी--(डी एन)--128/89 Registered No. D--(DN)--128/89

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1989 (ज्येष्ठ 6, 1911)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1989 (JYAISTHA 6, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

## भाग III--खण्ड 4
## [PART III--SECTION 4]

## सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचना सम्मिलित हैं

## [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

शहरी बैंक विभाग

"दि आर्केड", विश्व व्यापार केन्द्र

बम्बई 400 005, दिनांक 3 मई 1989

संदर्भ सं० यू० बी० डी० बी० आर० 97/ए 18-88-89--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खण्ड (यञ) के साथ पठित धारा 36ए की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा अधिसूचित करता है कि उक्त अधिनियम, की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित वेतन-जीवी समिति अब सहकारी बैंक नहीं रही।

| समिति का नाम | राज्य |
|---|---|
| दि सेंट्रल सर्विसेज को-आपरेटिव, क्रेडिट सोसायटी लि० सं० ई० 223, रविपुरम, कोचिन-16 | केरल |

म० ल० ट० फर्नान्डिस
मुख्य अधिकारी

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

प्रधान कार्यालय : इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 5 मई 1989

संदर्भ सं० एफ० एण्ड ए०/शेयर--एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के शेयरधारियों की 28 वीं वार्षिक सामान्य सभा निम्नलिखित कार्य हेतु रवीन्द्र नाट्य गृह, इन्दौर पर शनिवार दिनांक 17 जून, 1989 को सुबह 10.00 बजे (मानक समय) आयोजित की जाएगी :

"31 मार्च, 1989 को समाप्त हुई 15 माह की अवधि (1-1-88 से 31-3-89 तक) के लिए बैंक का तुलन पत्र व लाभ हानि खाता, इसी अवधि के लिए बैंक के कामकाज पर निदेशक, मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना।"

निदेशक मंडल के आदेश से
एम० के० सिन्हा
प्रबन्ध निदेशक

स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

प्रधान कार्यालय : त्रिवेन्द्रम

त्रिवेन्द्रम, दिनांक 5 मई 1989

सूचना

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शेयरधारियों को उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक केरल स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड को बैंक टावर्स, त्रिवेन्द्रम–695033 के सभा भवन में शनिवार, दिनांक 24 जून, 1989 को सायंकाल 4.00 (मानक समय) निम्नलिखित कार्य हेतु संपन्न होगी ।

"31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना" ।

जे० सी० सोरस,
प्रबन्ध निदेशक

---

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : बम्बई

बम्बई, दिनांक 19 मई 1989

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 50 (1) द्वारा दिये गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने, भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से, 11 मई, 1989 की अपनी बैठक में निर्णय किया कि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमों के विनियम 24 और 83 (1) निम्नानुसार संशोधित किए जाएं :

विनियम 24

अंशधारकों के किसी अधिवेशन में, चाहे वह वार्षिक साधारण अधिवेशन हो या विशेष साधारण अधिवेशन, कोई कामकाज नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम पांच अंशधारकों की गुणपूर्ति न हो जो रिजर्व बैंक के परोक्षी या सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा और अन्य चार अंशधारक जो ऐसे अधिवेशन में मतदान के हकदार हों या उनके परोक्षी द्वारा या सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा गठित होगी जो ऐसे कामकाज के प्रारम्भ में उपस्थित हों और यदि अधिवेशन के लिए नियुक्त समय के पन्द्रह मिनट के भीतर गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष अधिवेशन समाप्त कर सकेगा या आगामी सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान के लिए स्थगित कर सकेगा और यदि ऐसे स्थगित अधिवेशन में गणपूर्ति नही है तो उन अंशधारकों से जो स्वयं या परोक्षी द्वारा या सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हैं, गणपूर्ति होगी ।

परन्तु कोई वार्षिक साधारण अधिवेशन, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के परन्तुक के अनुसार जिस तारीख तक ऐसा वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, उसके पश्चात की किसी तारीख के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा और यदि आगामी सप्ताह में उसी दिन के लिए अधिवेशन को स्थगित करने का यह प्रभाव होगा, तो वार्षिक साधारण अधिवेशन स्थगित नहीं किया जाएगा किन्तु अधिवेशन का कामकाज नियत समय के एक घंटे के भीतर उतने शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा जितने शीघ्र गणपूर्ति हो जाए या उस समय के एक घन्टे, की समाप्ति के पश्चात तुरन्त बाद में प्रारम्भ किया जाएगा और जो अंशधारक स्वयं या परीक्षी द्वारा या सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऐसे समय में उपस्थित हों उनसे गणपूर्ति होगी ।

विनियम 83 (1)

प्रत्येक वर्ष अधिनियम की धारा 39 के अनुसार निर्धारित तारीख को अथवा उस दिन के बाद (जैसा उस दिन हो) स्टेट बैंक के लाभ का लेखा लिया जाएगा और उसके पश्चात सुविधानुसार यथाशीघ्र लाभांश, यदि कोई हो, घोषित और संदत्त किया जाएगा । केन्द्रीय बोर्ड समय-समय पर ऐसे अन्तरिम लाभांश की घोषणा करेगा और संदाय करेगा या संदाय करना प्राधिकृत करेगा जो उसे न्यायोचित प्रतीत हो ।

बोर्ड के आदेश से
विजय अटल
प्रबन्ध निदेशक

---

इण्डियन ओवरसीज बैंक

औद्योगिक सम्बन्ध विभाग

केन्द्रीय कार्यालय मद्रास

मद्रास-600002 दिनांक

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (1970 का 5/1980 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व-मंजूरी से एतद् द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियमन 1976 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियमों को बनाता है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण : (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) संशोधन विनियमन 1988 कहा जाएगा ।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियमन 1976 में विनियम 11 के तहत निम्नांकित परन्तुक को जोड़ा जाए :

"प्रावधान है कि अधिकारी कर्मचारी को अपने ऊपर लगाये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड के लिए आदेश तैयार होने से पहले अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए ।"

श्रीमती निर्मला राघवन
महा प्रबन्धक

रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 1989/ज्येष्ठ 5, 1911
No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1989/JYAISTHA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1989

सं. सचिव : 9.2.13:—राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 ( 1985 का 64) की धारा-38 की उपधारा-2 और उपधारा-3 के खण्ड "ट" और "ण" के साथ पठित उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ( सामान्य प्रबन्ध, विमान यातायात सेवाओं के भू-स्तम्भन के लिए प्रवेश) विनियम, 1989 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे :—

(क) निम्नलिखित को छोड़कर, वे सभी विमान क्षेत्र जहां अन्तर्देशीय विमान यातायात सेवाएं प्रचालित होती हैं अथवा जहां प्रचालित होने की संभावना है :—

(i) वे विमानक्षेत्र जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 लागू होता है; और

(ii) वे विमानक्षेत्र और एअर फील्ड जो संघ की किसी थल सेना के हों अथवा उनके नियंत्रण में हों :

(ख) सभी सिविल एन्क्लेव; और

(ग) सभी वैमानिक संचार केन्द्र।

3. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 ( 1985 का 64) अभिप्रेत है;

(ख) "एप्रेन" से किसी विमानक्षेत्र अथवा सिविल एन्क्लेव का एक हिस्सा अभिप्रेत है जोकि यात्रियों अथवा सामान को चढ़ाने और उतारने के लिए अथवा ईंधन लेने अथवा रख-रखाव के लिए विमान को पार्किंग करने के लिए बना हो ;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अध्यक्ष अथवा इस कार्य के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;

(झ) "कौशल क्षेत्र" से किसी विमानक्षेत्र या सिविल एन्क्लेव ( एप्रेन सहित ) का एक हिस्सा अभिप्रेत है जोकि विमानों के आरोहण और अवतरण आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ञ) "आवागमन क्षेत्र" से वह विमानक्षेत्र या सिविल एन्क्लेव अभिप्रेत है जोकि विमान के भूतल आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमे कौशल क्षेत्र और एप्रेन भी शामिल है;

(ठ) "भू-स्तंभन" से रेम्प हैण्डलिंग और यातायात स्तंभन अभिप्रेत है।

4. आवगमन क्षेत्र में प्रवेश पर रोक :—विनियम 5 की व्यवस्थाओं को छोड़कर, कोई व्यक्ति विमान क्षेत्र पर किसी के भू-स्तंभन के लिए किसी वाहन या अन्य उपस्कर के प्रचालन के लिए आवागमन क्षेत्र में न तो प्रवेश करेगा और न ही वहां ठहरेगा।

5. आवागमन क्षेत्र मे प्रवेश के लिए प्रतिबंध :—(1) किसी विमान, निजी या किसी एअरलाइन के भू-स्तंभन के लिए किसी वाहन या अन्य उपस्कर के प्रचालन के लिए आवागमन क्षेत्र में प्रवेश और ठहरना निम्न प्रकार से प्रतिबन्धित होगा :—

(क) इस कार्य के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण का कर्मचारी;

(ख) इस कार्य के लिए प्राधिकृत विमान का प्रचालक अथवा मालिक या उसके पूर्णकालिक कर्मचारी। बशर्ते कि वे संरक्षा, सुरक्षा और विमानक्षेत्रों के कुशल प्रबन्ध सहित सभी पहलुओं के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करें ;

(ग) कोई अन्य प्रचालक या अभिकरण जिसे पहली जून, 1986 से तत्काल पहले ऐसे विमानों के भू-स्तंभन कार्य में लगाया गया हो, और जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे विमान के लिए भू-स्तंभन सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई हो। बशर्ते कि वे संरक्षा, सुरक्षा और विमानक्षेत्रों के कुशल प्रबन्ध सहित सभी पहलुओं के बारे में सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करें ;

बशर्ते कि एअरलाइन प्रचालक, या कोई अभिकरण जिसे इस प्रकार की अनुमति दी गई हो, अपने निश्चित कार्य को उस एअरलाइन तक ही जारी और सीमित रखेगा जिसके साथ वह अथवा एअरलाइन ऐसी अनुमति जारी करने से तत्काल पहले सम्बद्ध था :

परन्तु यह और कि इस विनियम की कोई बात किसी प्रचालक, मालिक अभिकरण अथवा एअरलाइन को यह अधिकार नही देती कि वह किसी विमानक्षेत्र पर (जिस पर ये विनियम लागू होते हैं ) किसी विमान के भू-स्तंभन का कार्य करे। बशर्ते कि सक्षम अधिकारी से लिखित रूप में इस आशय की विशिष्ट अनुमति ली गई हो।

6. दण्ड :—विनियम 4 और 5 के प्रावधानों का उल्लंघन दण्डनीय होगा और उसके लिए 500 रुपए का जुर्माना होगा और ऐसे प्रथम उल्लंघन के सिद्ध होने के बाद यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 25 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त फाइन तब तक देना होगा जब तक उल्लंघन जारी रहता है।

भं. शा. राजे, एअर मार्शल
अध्यक्ष

## NATIONAL AIRPORTS AUTHORITY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1989

No. Sec : 9.2.13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (k) and (o) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 38 of the National Airports Authority Act, 1985 (64 of 1985), the National Airports Authority, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement — (1) These regulations may be called the National Airports Authority (General Management, Entry for Ground Handling of Air Transport Services) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to—

(a) all aerodromes whereat domestic air transport services are operated or are intended to be operated, other than—

(i) aerodromes to which the International Airports Authority Act, 1971 applies ; and

(ii) aerodromes and airfields belonging to, or subject to the control of, any armed force of the Union;

(b) all civil enclaves; and

(c) all aeronautical communication stations.

3. Definitions —In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the National Airport Authority Act, 1985 (64 of 1985) ;

(b) "apron" means a part of an aerodrome or civil enclave meant for parking of aircraft for purposes of loading or unloading of passengers or cargo or for refuelling or for maintenance;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Authority appointed under section 3 of the Act;

(d) "competent authority" means the Chairman or any other officer authorised by him in this behalf;

(e) "manoeuvring area" means a part of an aerodrome or civil enclave (excluding apron) which is used for take-off and landing of aircraft;

(f) "movement area" means a part of an aerodrome or civil enclave used for the surface movement of aircraft and includes manoeuvring area and apron;

(g) "ground handling" means ramp handling and traffic handling.

4. Prohibition of entry in the movement area :— No person shall enter into or remain in the movement area for operating any vehicle or other equipment for ground handling of any aircraft at an aerodrome except as provided in regulation 5.

5. Restriction of entry in the movement area :—

(1) Entry into and remaining in the movement area for operating any vehicle or other equipment for ground handling of any aircraft, whether private or belonging to any airline, shall be restricted to—

(a) the employeees of the Authority duly authorised in this behalf;

(b) the operator or the owner of such aircraft or his whole-time employees authorised by him in this behalf subject to such conditions as may be specified from time to time by the competent authority having regard to all aspects including safety, security and proper and efficient management of the aerodromes;

(c) any other operator or agency who, by virtue of this or its having been engaged in the ground handling of such aircraft immediately prior to 1st June, 1986, has been specially permitted by the competent authority to continue to provide the ground handling facility for such aircraft, subject to such terms and conditions as the competent authority may determine from time to time having regard to all aspects including safety, security and proper and efficient management of the aerodromes :

Provided that the airline operator, or any agency so permitted shall continue and restrict his or its exact job to the extent and to the airline which he or it was engaged in immediately prior to the issuance of such permit :

Provided further that nothing contained herein shall be construed to confer any right on any operator, owner, agency or an airline, to carry on the business of ground handling of any aircraft at an aerodrome to which these regulations apply unless specific permission, in writing, from the competent authority has been obtained.

6. Punishment.—The contravention of the provisions of regulations 4 and 5 shall be punishable with a fine of five hundred rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine of twenty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

C. K. S. RAJE, Air Marshal Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

दि इनस्टिट्च्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स

एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता, दिनांक 17 अप्रैल 1989

11 सी० डब्ल्यू० आर० (120-123) /89—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) का अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है कि (1) श्री के० के० दास गुप्ता, बी० काम, एम० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 72 आनन्द मोहन बोस रोड, कलकत्ता-700074 (सदस्यता संख्या एम० /2860) के नाम को 24 फरवरी, 1989 से 30 जून, 1989 तक के लिए। (2) श्री आई० एल० एन० अचार, बी० एस० सी०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए० बी-22, श्रीनगर को आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पेस्टमनगर, तिलकनगर पो० ओ० बम्बई-400089 (सदस्यता संख्या एम०/1254) के नाम को 4 मार्च, 1989 से 30 जून, 1989 तक के लिए (3) श्री द्विवपेन्द्र नाथ सिन्हा, एम० काम० ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, सिन्हा एण्ड कम्पनी, कास्ट एकाउन्टैन्ट्स पी० ओ० एण्ड मीलंज, रवनवोराह-711411, जिला हावड़ा (सदस्यता संख्या एम०/3529) के नाम को 20 मार्च, 1989 से 30 जून, 1989 तक के लिए (4) श्री अगर कुमार सेन गुप्ता, एम० ए० ए० सी० एम०, ए० एफ० आई० सी० डब्ल्यू० एम० ए०। ऐकयानीयर, 4 बेलतल्ला रोड, कलकत्ता-700026 (सदस्यता संख्या एम०/452) के नामों को अभ्यास करने का प्रमाण-पत्र उनकी निजी प्रार्थना पर 1 अप्रैल, 1989 से 30 जून, 1989 तक के लिए रद्द किया जाता है।

दिनांक 18 अप्रैल 1989

16-बी डब्ल्यू० भारत (873-75)/89—दी कास्ट एण्ड वर्क्स, एकाउन्टैन्ट्स रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए (1) श्री नीलकन्थ गोविन्द देशपाण्डे, बी० एस० सी० एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 12, नन्दिनी स्पार्टमेन्ट्स, नीयर गाडबोल हास्पीटल, एम० जी० रोड, नौपदा थाने-400602 (सदस्यता संख्या एम०/26) 20 मार्च, 1989 से। (2) श्री पी० जे० कुरूवील्ला, बी० एस० सी०, बी० काम, ए० सी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 6 जूली एपार्टमेन्ट्स, 11-बी, पाइक्रोफलीस गार्डन रोड, मद्रास-600006 (सदस्यता संख्या एम० /4098) 1 अप्रैल, 1989 को उनकी निजी प्रार्थना पर (3) श्री सुशील कुमार घोष, एम० ए०, बी० काम०, एफ० सी० एवं एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, ब्लाक ए० डी०, प्लाट 90, सेक्टर। सोल्ट लेक सीटी, कलकत्ता-700064 (सदस्यता संख्या एम० /229) के नाम को उनकी मृत्यु के कारण 13 फरवरी, 1989 से सदस्य पंजिका से हटा दिया।

18-सी० डब्ल्यू० आर० (202-203)/89—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स रेग्युलेशन्स 1959 को विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टिट्च्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया के परिषद ने कहे हुए रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए (1) श्री नन्दकिशोर पोद्दार, बी० काम, एल० एल० बी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, एक्जीक्यूटिव एसिस्टेन्ट, हिन्दुस्तान डेवलपमेन्ट, कारपोरेशन लिमिटेड, 27 आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता 700001 (सदस्यता संख्या एम०/3701) के 4 अप्रैल, 1989 से (2) श्री अशोक कुमार डे, एम० काम० ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 23 लेन्सडाउन टैरेस, कलकत्ता-700026 (सदस्यता संख्या एम०/3895) के नामों को 11 अप्रैल, 1989 से सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया।

दिनांक 27 अप्रैल 1989

16—बी० डब्ल्यू० आर० (876) /89—दी कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टैन्टस रेग्युलेशन्स 1959 की विनियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया है कि दी इंस्टिच्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया के परिषद ने कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्टस अधिनियम 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री धनसुकलाल भगवानदास कपाडिया बी० काम०, ए० सी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० ओल्ड नगरदास रोड 231 ए० इन्द्रलोक, फास्ट फलोर, अंधेरी (इ) बम्बई-400069 (सदस्यता संख्या एम०/779) के नाम का उनकी निजी प्रार्थना पर 1 अप्रैल, 1989 से सदस्य पंजिका से हटा दिया।

11—सी० डब्ल्यू० आर० (124)/89—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टैन्टस रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) का अनुसरण कर यह सूचित किया जाता है कि श्री आर० पी० सरीन, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, डी-13 रेस कोर्स देहरादून-248001 (सदस्यता संख्या एम० /1638) के अभ्यास करने का प्रमाण पत्र उनकी निजी प्रार्थना पर 19 अप्रैल, 1989 से 30 जून 1989 तक के लिए रद्द किया जाता है।

डी० सी० भट्टाचार्या
सचिव

---

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 1989

सं० एन०-15/13/7/1/89-योजना एवं विकास (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-4-1989 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958

में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात

"जिला और ताल्लूक हसन में होबली कस्बा के अधीन सर्वेक्षण संख्या 87, 104, 105 और 106 के सहित ग्राम बी० कट्टीहल्ली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र"

दिनांक 10 मई, 1989

सं० एन 15/13/7/4/88—योजना एवं विकास (2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य विनियम-1950) के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-12-88 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात्

| राजस्व ग्राम का नाम | होबली | तालुक और जिला या नगर पालिका सीमा |
|---|---|---|
| बेलेकुन्द्री बी० के० | बागवादी | बेलगांव |

एम० घोष
निदेशक (योजना एवं विकास)

---

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 1989

सं० यू०-16/53/86-चि०-2 (कर्नाटक)—कर्मचारी राज्य बीमा साधारण विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23 मई 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा बंगलौर के डा० टी० एस० आनन्थ को दिनांक 1-4-1989 से 31-3-1990 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशक के कार्यभार ग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहले हो मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।

सं० यू० 16/53/86-चि०-3 (उत्तर प्रदेश)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या-1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा लैफ्टिनेंट कर्नल (डा०) बी० एल० कत्याल, 117/311, एच०-1 ब्लाक, माडल टाउन, पांडूनगर, कानपुर को कानपुर केन्द्र में उप-चिकित्सा आयुक्त (उत्तरी जोन) द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 4-5-1989 से अगली एक वर्ष की अवधि या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक चिकित्सा निदेशी के पद पर सेवा का विस्तार करने की मंजूरी देता हूँ और उसे चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।

डा० कृष्णमोहन सक्सैना
चिकित्सा आयुक्त

---

## वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत निगमित)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1989

### वास्तुविद (वृत्तिक आचरण) विनियम, 1989

एफ० नं० सी० सं०/1/89—वास्तुकला परिषद वास्तुविद अधिनियम 1972 (1972 का 20वां अधिनियम) की धारा 45 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एक वास्तुविद के लिए अभीष्ट वृत्तिक आचरण स्वयं अनुशासनशीलता के स्तर में सुधार के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

(1) इन विनियमों को वास्तुविद (वृत्तिक आचरण) विनियम, 1989 कहा जाएगा ।

(2) वे उनके सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. (1) प्रत्येक वास्तुविद केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 या वास्तुविदों पर लागू इसी प्रकार के किन्हीं अन्य नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(i) इस बात की व्यवस्था करेगा कि उसके वृत्तिक कार्यकलाप का समाज के भावी

कल्याण एवं पर्यावरण की गुणता में योगदान करने के उसके सामान्य उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े;

(ii) अपने कार्यकौशल का उपयोग अपने समुदाय के सृजनात्मक उत्तरदायित्वपूर्ण और आर्थिक विकास के लिए करेगा;

(iii) अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार उच्च स्तर की वृत्तिक सेवा प्रदान करेगा;

(iv) निजी प्रैक्टिस करने की स्थिति में अपने ग्राहक को अपने निबंधन की शर्तों तथा प्रभारों के मान के बारे में सूचित करेगा और उससे यह करार करेगा कि यह शर्तें उसके नियोजन का आधार होंगी ;

(v) अपने ग्राहक से पहले करार किए बगैर किसी अन्य वास्तुविद या वास्तुविदों को वह कार्य नहीं सौंपेगा जिसके लिए उसे नियोजित किया गया है ;

(vi) ग्राहकों से परिचय कराने या काम दिलाने के लिए बट्टा, कमीशन, उपहार या अन्य प्रलोभन न तो देगा और न लेगा;

(vii) भवन निर्माण, ठेके पर कार्य करते समय उचित और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा;

(viii) सत्य निष्ठा का उच्च स्तर बनाए रखेगा;

(ix) वास्तुकला, वास्तुकला शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और व्यवहार के स्तर की उन्नति का संवर्धन करेगा;

(x) इस प्रकार का आचरण करेगा कि न तो उसके वृत्तिक आचरण की दृष्टि से अपमानजनक हो, न इस वृत्ति में जनसामान्य के विश्वास को कम कर सके और न वास्तुविदों की अप्रतिष्ठा करे;

(xi) अन्य वास्तुविदों से उचित ढंग की स्पर्धा करेगा;

(xii) परिषद द्वारा निर्धारित निबंधन की शर्तों और प्रभारों के मान का पालन करेगा ;

(xiii) किसी अन्य वास्तुविद को न तो विस्थापित करेगा और न विस्थापित करने का प्रयास ही करेगा;

(xiv) (परिषद द्वारा अनुमोदित वास्तुकला प्रतियोगिता निर्देशों के अनुसार संचालित प्रतियोगिता को छोड़कर) किसी ग्राहक के लिए अन्य वास्तुविदों से स्पर्धा करते हुए, भुगतान लिए बिना या कम फीस लेकर डिजाइनें तैयार नहीं करेगा;

(xv) तब तक किसी ग्राहक से कोई ऐसा काम लेने का प्रयास नहीं करेगा या लेने का प्रस्ताव नहीं करेगा या नहीं लेगा जिसके संबंध में उसे जानकारी हो कि उसके लिए किसी अन्य वास्तुविद को चुन लिया गया है या नियोजित कर लिया गया है जब तक उसके पास यह साक्ष्य न हो कि उक्त चुनाव नियोजन या करार को समाप्त कर दिया गया है और वह उक्त वास्तुविद को यह लिखित सूचना न दे दे कि वह उस कार्य को कर रहा है; परन्तु कार्य के प्राथमिक चरणों में वास्तुविद का चुनाव करने के लिए ग्राहक अपनी इच्छानुसार अनेक वास्तुविदों से परामर्श कर सकता है, बशर्ते कि वह इस प्रकार परामर्श देने वाले प्रत्येक वास्तुविद को प्रभार की अदायगी कर दे ;

(xvi) वास्तुकला प्रतियोगिता के संबंध में परिषद द्वारा बनाए गए निर्देशों का पालन करेगा और किसी वास्तुकला प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में नियुक्त होने पर परिषद को उसकी सूचना देगा;

(xvii) विदेशों में काम करते समय अपने कार्य के स्थान पर लागू आचरण संहिता की अपेक्षाओं का पालन करेगा;

(xviii) अपनी फर्म में भागीदार के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लेगा या रखेगा जिसे परिषद में पंजीकरण के लिए इस कारण निरर्हित कर दिया गया हो कि उसका नाम वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 29 या 30 के अधीन रजिस्टर से काट दिया गया है;

(xix) अपने कर्मचारियों के काम करने के लिए उचित पर्यावरण रखेगा, पारिश्रमिक आदि देगा और उनके वृत्तिक विकास में सहायक होगा;

(xx) अपने कर्मचारियों के वृत्तिक योगदान को मान्यता देगा और उसका आदर करेगा;

(xxi) अपने सहयोगियों के लिए काम करने के उचित पर्यावरण की व्यवस्था करेगा, उन्हें उचित पारिश्रमिक आदि देगा और उनके वृत्तिक विकास में सहायक होगा;

(xxii) अपने सहयोगियों के वृत्तिक योगदान को मान्यता देगा और उसका आदर करेगा;

(xxiii) परामर्शदाताओं के वृत्तिक योगदान को मान्यता देगा और उसका आदर करेगा,

(xxiv) उनके कार्य की सीमा और उत्तरदायित्व, कार्य, फीस तथा अदायगी की विधि आदि को परिभाषित करते हुए, उनके साथ करार करेगा;

(xxv) निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर न तो अपनी वृत्तिक सेवा को विज्ञापित करेगा, न विज्ञापन

में अपना नाम शामिल किए जाने की अनुमति देगा और न प्रचार के प्रयोजन के लिए अपने नाम का प्रयोग होने देगा,

(क) पता बदलने पर उसकी सूचना तीन बार प्रकाशित की जा सकती है और संपर्कियों को डाक द्वारा सूचित किया जा सकता है,

(ख) वास्तुविद अपना नाम अपने कार्यालय के बाहर, और साथ ही किसी निर्माणाधीन या पूरी निर्मित किसी इमारत पर भी प्रदर्शित कर सकता है जिसका वह वास्तुविद है या था, बशर्ते कि अक्षरों की ऊंचाई 10 सें० मी० से अधिक नहीं होगी,

(ग) वास्तुविद के नाम और पता सहित विज्ञापन निविदायें मंगाते समय, स्टाफ की आवश्यकता होने पर तथा अन्य इसी प्रकार के अन्य मामलों में प्रकाशित किए जा सकते हैं,

(घ) अपने रेखाचित्रों या अपने कार्य के विवरणों के संदर्भ में समाचारपत्र आदि या अन्य जनसपर्क माध्यम में अपने नाम को सहयोजित करा सकता है किन्तु इसके लिए वह न तो कोई प्रतिफल लेगा और न देगा ही,

(ङ) अपने द्वारा डिजाइन की गई किसी इमारत में प्रयुक्त सामग्री के विनिर्माताओं या पूर्तिकर्त्ताओं द्वारा समाचारपत्र आदि में निकाले गए विज्ञापनों में अपना नाम शामिल करने की अनुमति दे सकता है, किन्तु उसका नाम प्रमुखतारहित ढंग से शामिल किया जाएगा और उसके उपयोग के लिए वह कोई प्रतिफल स्वीकार नहीं करेगा ।

(च) अपने ग्राहकों द्वारा तैयार की गई ऐसी विवरणिकाओं में अपना नाम शामिल करने की अनुमति दे सकता है जो उन परियोजनाओं को विज्ञापित या वर्धित करने के प्रयोजन के लिए हो जिनका कार्य उसे सौंपा गया है,

(छ) अपने ऐसे संभावी ग्राहकों में वितरण के लिए, जिनकी उसे उनके नाम और स्थिति सहित जानकारी है, विवरणिकाएं पुस्तिकाएं तैयार या प्रकाशित करा सकता है जिसमें उसके अनुभव और योग्यताओं का वर्णन हो,

(ज) अपना नाम व्यावसायिक, वृत्तिक निर्देशिका और या टेलीफोन निर्देशिका के वर्गीकृत स्तंभों में छपवा सकता है,

(2) यदि कोई वास्तुविद किसी भागीदारी फर्म में भागीदारी के रूप में कार्य कर रहा हो और कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत किसी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उक्त कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त भागीदारी फर्म या, यथास्थिति कंपनी उपविनियम (1) के उपबंधों का पालन करेगी ।

(3) उप विनियम (1) के किसी उपबंध का अतिक्रमण वृत्तिक अवचार माना जाएगा ।

के० वी० नारायणा आयंगार
रजिस्ट्रार

---

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

URBAN BANKS DEPARTMENT

Bombay-400 005, the 3rd May 1989

No. UBD.BR.97/A. 18–88/89.—In pursuance of sub-section (2) of Section 36A read with Clause (za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 the Reserve Bank of India hereby notifies that the following the salary earners society has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

| *Name of the Society* | *State* |
|---|---|
| The Central Services Co-operative Credit Society Ltd. No. E.223, Ravipuram, Cochin-16. | Kerala |

M. L. T. FERNANDES
Chief Officer

STATE BANK OF INDORE

HEAD OFFICE

Indore, the 5th May 1989

NOTICE is hereby given that the Twenty Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Indore will be held at Ravindra Natya Grah, Ravindra Nath Tagore Marg, Indore on Saturday the 17th June, 1989 at 10.00 A.M. (Standard Time) to transact the following business :—

"To receive the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the 15 months accounting period from 1-1-88 to 31-3-89, the report of the Board of Directors on the working of the Bank for the same period and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts".

By Order of the Board of Directors
M. K. SINHA
Managing Director

STATE BANK OF TRAVANCORE

(Associate of the State Bank of India)

HEAD OFFICE

NOTICE

Trivendrum, the 9th May 1989

Twentynineth Annual General Meeting of the Shareholders of State Bank of Travancore will be held in the Auditorium attached to Kerala State Co-operative Bank Ltd., Co-Bank Towers, Trivandrum-695 033 on Saturday the 24th June, 1989 at 4.00 p.m. (Standard Time) for the tarnsaction of the following business :

"To receive the Report of the Board of Directors, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made upto the 31st March, 1989 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

J. C. SOARES
MANAGING DIRECTOR

---

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE, BOMBAY

Bombay, the 19th May 1989

In exercise of the powers conferred by section 50(1) of the State Bank of India Act, 1955, the Central Board of the Bank with the prior approval of the Government of India, at its meeting dated the 11th May 1989, resolved to amend regulations Nos. 24 and 83(1) of the State Bank of India General Regulations, to read as under :

*Regulation* 24

No business shall be transacted at any meeting of the shareholders whether it is the annual general meeting or any special general meeting, unless a quorum of atleast five shareholders consisting of the Reserve Bank represented by a proxy or by a duly authorised representative and four other shareholders entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by duly authorised representatives is present at the commencement of such business, and if within fifteen minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present the Chairman may dissolve the meeting or adjourn it to the same day in the following week at the same time and place, and if at such adjourned meeting a quorum is not present, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative shall form a quorum :

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of the proviso to sub-sec. (1) of Section 42 of this Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced either as soon within one hour from the time appointed for the meetings as a quorum may be present, or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form a quorum.

*Regulation* 83 (1)

An account of the profits of the State Bank shall be taken (as on) or after the date specified in terms of Section 39 of the Act every year, and a dividend, if any, shall be declared and paid, as soon as conveniently may be, thereafter. The Central Board may from time to time declare and pay or authorise the payment of such interim devidends as appear to it to be justified.

By Order of the Board
V. ATAL
Managing Director

INDIAN OVERSEAS BANK

INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Madras-600 002, the May 1989

In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 (5 of 1970/5 of 1980), the Board of Directors of Indian Overseas Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations 1976.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Amendment Regulations 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. "In the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 the following proviso shall be added under Regulation 11 :

"Provided that the officer employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made".

SMT. NIRMALA RAGHAVAN
General Manager

---

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 17th April 1989

No. 11-CWR(120-123)/89.—In pursuance of Sub-Regulation (3) of Regulation 11 of Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to (1) Shri K. K. Das Gupta, BCOM, FICWA, 72, Anandamohan Bose Road, Calcutta-700 074 (Membership No. M/2860) is cancelled from 24th February 1989 to 30th June 1989, (2) Shri Y. L. N. Achar, BSC, FICWA B-22 Shrinagar Co-op Housing Society, Pestomnagar, Tilaknagar P.O. Bombay-400 089 (Membership No. M/1254) is cancelled from 4th March 1989 to 30th June 1989. (3) Shri Dwipendra Nath Sinha, MCOM, AICWA, Sinha & Co., Cost Accountants, P.O. & Vill, Khanborah-711 411 Dist. Howrah, (Membership No. M/3529), is cancelled from 20th March 1989 to 30th June 1989 and (4) Shri Amar Kumar Sengupta, MA, FICMA, FICWA, A/1, Aikyanir, 4, Beltala Road, Calcutta-700 026 (Membership No. M/452) is cancelled from 1st April 1989 to 30th June 1989 at their own request.

The 18th April 1989

No. 16-CWR(873-75)/89.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri Nilkanth Govind Deshpande, BSC, FICWA, 12, Nandini Apartments, Near Godbole Hospital, M.G. Road, Naupada-Thane-400 602, (Membership No. M/26) with effect from 20th March 1989, (2) Shri P. J. Kuruvilla, BSC, BCOM, ACA, AICWA, 6, Julie Apartments, 11-B, Pycrofles Garden Road, Madras-600 006, (Membership No. M/4098) with effect from 1st April 1989 at their own request (3) Shri Sushil Kumar Ghosh, MA, B.COM, FCA, FICWA, Block AD, Plot 90, Sector I, Salt Lake City, Calcutta-700 064 (Membership No. M/229) with effect from 13th February 1989 on account of death.

18 CWR (202-203)/89.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members the names of (1) Shri Nand Kishore Poddar, BCOM, LLB, AICWA, Executive Assistant, Hindusthan Development Corpn. Ltd. 27 R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001 (Membership No. M/3701) with effect from 4th April 1989. (2) Ashok Kumar De, MCOM, AICWA, 23 Lansdowne Terrace, Calcutta-700 026 (Membership No. M/3895) with effect from 11-4-89.

The 27th April 1989

No. 16-CWR(876)/89.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the name of Shri Dhansuklal Bhagwandas Kapadia, BCOM, ACA, AICWA, old Nagardas Road 23/A Indralok, 1st Floor, Andheri (E) Bombay-400 069 (Membership No. M/779) with effect from 1st April 1989 at his own request.

No. 11-CWR(124)/89.—In pursuance of Sub-Regulation (3) of Regulation 11 of Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to Shri R. P. Sareen, FICWA, D-93 Race Course, Dehra Dun 248 001, (Membership No. M/1638) is cancelled from 19th April 1989 to 30th June 1989 at his own request.

D. C. BHATTACHARYYA
Secy.

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th April 1989

No. N-15/13/7/1/89-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th April, 1989, as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

"Area comprising of the revenue village B. Kattihalli including Survey No. 87, 104, 105 and 106 under Hobli Kasaba in Taluk and District Hassan."

The 10th May 1989

No. N-15/13/7/4/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st Dec., 1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

| Name of the revenue Village or Municipal limits. | Hobli | Taluk & District |
|---|---|---|
| Balekundri B. K. | Bagewadi | Belgaum |

S. GHOSH
Director (Plg. & Dev.)

New Delhi, the 9th May 1989

No. U-16/53/86-Med. II (Karnt.).—In pursuance of the Resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23rd May, 1983, I hereby authorise Dr. T. S. Ananth of Bangalore to function as Medical Authority, with effect from 1-4-1989 to 31-3-1990, or till such time a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Bangalore Centre, on payment of monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

No. U-16/53/86-Med. II (U.P.).—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby grant extension wef 4-5-1989 to Lt. Col. (Dr.) B. L. Katyal, 117/311, H-1, Block, Model Town, Pandunagar, Kanpur, as Part-time Medical Referee, in Kanpur Centre, in the area to be specified by the Dy. Medical Commissioner (North Zone) at a monthly remuneration as per existing norms, and authorise him to function as medical authority for one year or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them, when the correctness of the original certificates is in doubt.

Dr. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

## COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

### ARCHITECTS (PROFESSIONAL CONDUCT) REGULATIONS, 1989

New Delhi, the 11th May 1989

F. No. CA/1/89.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (i) of sub-section (2) of section 45 of the Architects Act, 1972 (Act No. 20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to promote the standard of professional conduct/self-discipline required of an architect, namely :—

1. *Short title and commencement* :

(1) These regulations may be called with Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) Without prejudice to the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 or any other similar rules applicable to an architect, such architect shall :—

(i) ensure that his professional activities do not conflict with his general responsibility to contribute to the quality of the environment and future welfare of society,

(ii) apply his skill to the creative, responsible and economic development of his community,

(iii) provide professional services of a high standard, to the best of ability,

(iv) if in private practice, inform his client of the conditions of engagement and scale of charges and agree that these conditions shall be the basis of his appointment,

(v) not subcommission to another architect or architects the work for which he has been commissioned without prior agreement of his client,

(vi) not give or take discounts, commissions, gifts or other inducements for the introduc ion of clients or of work,

(vii) act with fairness and impartiality when adminis ering a building contract,

(viii) maintain a high standard of integrity,

(ix) promote the advancemen of architecture, standards of architectural education, research, training and practice,

(x) conduct himself in a manner which is not derogatory to his professional character, nor likely to lessen the confidence of the public in the profession, nor bring architects into disrepute,

(xi) compete fairly with other architects

(xii) observe and uphold the Council's conditions of engagement and scale of charges,

(xiii) not supplant or attempt to supplant another architect,

(xiv) not prepare designs in competition with other architects for a client without payment or for a reduced fee (except in a competition conducted in accordance with the architectural competition guidelines approved by the Council),

(xv) not attempt to obtain, offer to undertake or accept a commission for which he knows another architect has been selected or employed until he has evidence that the selection, employment or agreement has been erminated and he has given the previous architect written notice that he is so doing.

Provided that in the preliminary stages of works, the client may consult, in order to select the architect, as many architects as he wants, provided he makes payment of charges to each of the architects so consulted,

(xvi) comply with the Council's guidelines for architectural competitions and inform the Council of his appointment as assessor for an architectural competition,

(xvii) when working in other countries, observe the requirements of codes of conduct applicable to the place where he is working,

(xviii) not have or take as partner in his firm any person who is disqualified for registration by reason of the fact that his name has been removed from the Register under section 29 or 30 of the Architects Act, 1972,

(xix) provide their employees with suitable working environment, compensate them fairly and facilitate their professional development,

(xx) recognize and respect the professional contribution of his employees,

(xxi) provide their associates with suitable working environment, compensate them fairly and facilitate their professional development,

(xxii) recognize and respect the professional contribution of his associates,

(xxiii) recognize and respect the professional contribution of the consultants,

(xxiv) enter into agreemen with them defining their scope of work, responsibilities, functions, fees and mode of payment,

(xxv) shall not advertise his professional service nor shall he allow his name to be included in advertisement or to be used for publicity purposes save the following exceptions :—

(a) a notice of change of address may be published on hree occasions and correspondents may be informed by post,

(b) an architect may exhibit his name outside his office and on a building, either under construction or completed, for which he is or was an architect, provided the lettering does not exceed 10cm. in height,

(c) advertisements including the name and address of an architect may be published in connection with calling of tenders, staff requirements and similar matters,

(d) may allow his name to be associated with illustrations and descriptions of his work in the press or other public media but he shall not give or accept any consideration for such appearances,

(e) may allow his name to appear in advertisements inserted in the press by suppliers or manufacturers of materials used in a building he has designed, provided his name is included in an unostentatious manner and he does not accept any consideration for its use,

(f) may allow his name to appear in brochure prepared by clients for the purpose of advertising or promoting projects for which he has been commissioned,

(g) may produce or publish brochures, pamphlets describing his experience and capabilities for distribution to those potential clients whom he can identify by name and position,

(h) may allow his name to appear in the classified columns of the trade/professional directory and/or telephone directory

(2) If an architect practises as a partner in a partnership firm or is incharge and is responsible to a company registered under the Companies Act, 1956 for the conduc of business of such company, he shall ensure that such partnership firm or the company, as the case may be, complies with the provisions of sub-regulation (1).

(3) Violation of any of the provisions of sub-regulation (1) shall constitute a professional mis-conduct.

K. V. NARAYANA IYENGAR
Registrar

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989